



Neutral Citation No.-2026:AHC:9895

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-31786 वर्ष 2025

दिनेश कुमार आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पुलक गांगुली, रवि भूषण सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री पुलक गांगुली, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ए.के. मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-37 वर्ष 2023 में धारा 302 भ०द०वि०, थाना-सादत, जिला: गाजीपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। जिस व्यक्ति ने घटना के बारे में पहले सूचनाकर्ता को सूचना दी थी, वह पक्षद्रोही गया और उसे मुकदमे के दौरान अ०सा०-2 के रूप में पेश किया गया। उक्त व्यक्ति आवेदक का पिता है। आवेदक 26.3.2023 से जेल में है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
5. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि यह एक खुला और बंद मामला है। आवेदक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उतार दिया है। वह अपने घर के परिसर में मर गई है और उसे कुल छह चोटें आई हैं। उसकी मृत्यु की परिस्थितियों को आवेदक द्वारा ही समझाया जाना है, इस प्रकार, वह ज़मानत का हकदार नहीं है।

6. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के लिए कहा था। दिनांक 3.11.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, चार गवाहों से पूछताछ की गई है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक की पत्नी की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हो गई थी, जो कि आवेदक द्वारा अस्पष्टीकृत रही, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 14, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)